पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जून, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 11, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	317–319	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	641–646	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	431–433	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	81–86	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4

विज्ञप्ति / नियुक्ति

04 अप्रैल, 2019 ई0

संख्या 106 / XXX(4) / 2019–04(1) / 2018–उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2016 के नियम–18 एवं 20 के प्रावधानुसार, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में चयनित तथा प्रोन्नत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु, महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–1748 / UHC / Admn.A / HJS / 2017–18, दिनांक 03 अप्रैल, 2019 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित 02 अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा, वेतनमान ₹ 51,550–1,230–58,930–1,380–63,070, ग्रेड वेतन–₹ 8,900 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1.	श्री प्रदीप कुमार मणि	ज्वाइंट रजिस्ट्रार (जुडिशल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव), पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, उत्तराखण्ड, देहरादून	सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कोटा
2.	श्री शेष चन्द्र	सिविल जज (सी0डि0) / सचिव डी0एल0एस0ए0, अल्मोड़ा	पदोन्नति कोटा

2. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर रखते हैं।

3. उक्त अभ्यर्थियों के तैनाती आदेश मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

10 अप्रैल, 2019 ई0

संख्या 116 / XXX(4) / 2019–04(1) / 2019–श्री डी0 पी0 गैरोला, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2019 के क्रम में महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–1780UHC/XIV-33/Admin.A, दिनांक 05 अप्रैल, 2019 के माध्यम से प्रेषित मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की संस्तुति के आलोक में, शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के अध्याय 9 सेवानिवृत्ति के मूल नियम 56 (घ)(1) में प्रावधानित, तीन माह के नोटिस अवधि में मूल नियम 56(घ)(2) के प्राविधान के तहत छूट प्रदान करते हुए, श्री डी0 पी0 गैरोला, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन को दिनांक 11.04.2019 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

श्रम अनुभाग

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

27 मार्च, 2019 ई0

संख्या 279/VIII/19–422(ESI)/2002–कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मुख्य फार्मासिस्ट के उपलब्ध रिक्त 04 पदों के सापेक्ष दिनांक 26.03.2019 को सम्पन्न हुई, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से नियमित चयनोंपरान्त उत्तराखण्ड मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित फार्मासिस्टों को वर्तमान तैनाती स्थल में ही मुख्य फार्मासिस्ट के वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेबल–10 के पद पर प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम
1.	श्री बरकत अली
2.	श्रीमती शशी जोशी
3.	श्री जगतराम थपलियाल

2. सम्बन्धित कार्मिक उत्तराखण्ड मुख्य भेषजिक (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2006 के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।
3. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई है, संबंधित कार्मिक को शासन द्वारा समय–समय पर निहित आदेशों के अनुरूप महंगाई भत्ता/अन्य भत्ते देय होंगे।
4. संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पद पर तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक संबंधी सूचना शासन/निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित कार्मिकों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
सचिव।

न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय ग्रहण प्रमाण–पत्र

25 मार्च, 2019 ई0

संख्या 32/XXXVI/न्याय विभाग/2019–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन का कार्यभार दिनांक 18.03.2019 से दिनांक 22.03.2019 तक (दिनांक 16 व 17 मार्च को प्रीफिक्स एवं 23 व 24 मार्च को सफिक्स करते हुए) उपार्जित अवकाश (गृह एल0टी0सी0 हेतु) उत्तराखण्ड शासन के कार्मिक अनुभाग–4 के आदेश संख्या 83/XXX(4)/2019–04(12)/2016, दिनांक 07 मार्च, 2019 से स्वीकृति होने एवं उपभोग करने के पश्चात् आज दिनांक 25.03.2019 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया।

रीतेश कुमार श्रीवास्तव,
अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताक्षरित

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/255–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जून, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 11, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 12, 2019

No. 142/XIV-3/Admin.A/2008–Sri Arvind Nath Tripathi, Additional District Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 25.03.2019 to 06.04.2019 with permission to prefix 20.03.2019 to 24.03.2019 as holidays (Holi and Sunday) and suffix 07.04.2019 as Sunday holiday

NOTIFICATION

April 23, 2019

No. 143/XIV-96/Admin.A/2003–Sri Nandan Singh, Additional District & Sessions Judge, Rudraprayag is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 25.03.2019 to 06.04.2019 with permission to prefix 21.03.2019 to 24.03.2019 as holidays (Holi and Sunday) and suffix 07.04.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 23, 2019

No. 144/XIV-25/Admin.A/2008–Ms. Savita Chamoli, Additional Judge, Family Court, Dehradun is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 15.10.2018 to 12.04.2019 with permission to prefix 13.10.2018 & 14.10.2018 as holidays, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and office Memo No. 250/XXVII(7)/2009, dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

April 30, 2019

No. 145/XIV-a/35/Admin.A/2015–Sri Amit Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 11.03.2019 to 20.03.2019 with permission to prefix 10.03.2019 and suffix 21.03.2019 to 24.03.2019 as holidays.

NOTIFICATION

May 01, 2019

No. 146/XIV-a/52/Admin.A/2015–Ms. Jayshri Rana, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned child care leave for 54 days *w.e.f.* 27.02.2019 to 21.04.2019, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

May 06, 2019

No. 147/XIV/52/Admin.A–Sri Rajendra Joshi, District & Sessions Judge, Pithoragarh is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 15.04.2019 to 27.04.2019 with permission to prefix 11.04.2019 to 14.04.2019 as holidays and suffix 28.04.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 06, 2019

No. 148/XIV-a/44/Admin.A/2015–Ms. Anamika, Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned :

1.	Earned leave for 28 days *w.e.f.* 28.09.2018 to 25.10.2018
2.	Maternity leave for 180 days *w.e.f.* 26.10.2018 to 23.04.2019

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 06, 2019

No. 149/XIV/50/Admin.A–Sri Pradeep Pant, Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 22.04.2019 to 04.05.2019 with permission to prefix 17.04.2019 to 21.04.2019 as holidays of Mahavir Jayanti & Good Friday and suffix 05.05.2019 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
ANUJ KUMAR SANGAL,
Registrar (Infrastructure).

NOTIFICATION

May 07, 2019

No. 150/XIV-6/Admin.A/2008–Sri Kuldeep Sharma, Additional District Judge, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 15.04.2019 to 29.04.2019.

NOTIFICATION

May 09, 2018

No. 151/XIV/39/Admin.A–Sri G. K. Sharma, District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned medical leave for 22 days *w.e.f.* 08.04.2019 to 29.04.2019.

NOTIFICATION

May 13, 2019

No. 152/XIV-90/Admin.A–Sri Mithilesh Jha, Judge, Family Court, Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 12 days *w.e.f.* 15.04.2019 to 26.04.2019.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय जिला जज, बागेश्वर

कार्यभार छोड़ने का प्रमाण–पत्र

30 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक–170/एडमिन–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्रांक संख्या 1981/XIV-6/28/Admin.A/2008, Dated : April 25, 2019 द्वारा दिनांक 15.04.2019 से दिनांक 29.04.2019 तक की अवधि के लिए स्वीकृत अर्जित अवकाश के उपभोग हेतु, मेरे द्वारा दिनांक 15.04.2019 के पूर्वाह्न में अपर जिला जज, बागेश्वर का कार्यभार छोड़ा गया।

कुलदीप शर्मा,
अपर जिला जज,
बागेश्वर।

प्रति हस्ताक्षरित,
ह0 (अस्पष्ट)
जिला जज,
बागेश्वर।

कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र

30 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक–171/एडमिन–प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्रांक संख्या 1981/XIV-6/28/Admin.A/2008, Dated : April 25, 2019 द्वारा दिनांक 15.04.2019 से दिनांक 29.04.2019 तक की अवधि के लिए स्वीकृत अर्जित अवकाश के उपभोग के उपरान्त, मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2019 के पूर्वाह्न में अपर जिला जज, बागेश्वर का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कुलदीप शर्मा,
अपर जिला जज,
बागेश्वर।

प्रति हस्ताक्षरित,
ह0 (अस्पष्ट)
जिला जज,
बागेश्वर।

कार्यालय आयुक्त राज्य कर , उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

25 अप्रैल, 2019 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 215/आयु0रा0क0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनु0/2019–20/दे0दून–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 190, दिनांक 23.04.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 3043, दिनांक 10 अगस्त, 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुए पहले पैरा में वर्तमान परंतुकों के पश्चात् परंतुक अंतःस्थापित किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर, अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड

23 अप्रैल, 2019 ई0

संख्या 190/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2019–20/CT–19–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के साथ पठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, मैं, आयुक्त, अधिसूचना संख्या 3043/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19, दिनांक 10 अगस्त, 2018 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करता हूँ, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में वर्तमान परंतुकों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह भी कि, मार्च, 2019 मास लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 23 अप्रैल, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"

2. यह अधिसूचना 20 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होगी।

अमित सिंह नेगी,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पीयूष कुमार,
अपर आयुक्त (वि0वे0) राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

05 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 488/टी0आर0/पंजी0नि0/UA02–1054/2019–वाहन संख्या UA02–1054 (TRUCK), मॉडल 2004, चेसिस संख्या UHZGL4GM0079161 तथा इंजन नं0 SLCHU72028, कार्यालय में श्री फिरोज खान पुत्र श्री गुलाम साबिर, निवासी पहाड़गंज, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.04.2019 जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA02–1054 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या UHZGL4GM0079161 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

16 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 512/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06V-9414/2019–वाहन संख्या UK06V-9414 (LMV CAR), मॉडल 2012, चेसिस संख्या MAKDD174DCN003920 तथा इंजन नं0 L12B31011205, कार्यालय में श्री धन सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी ग्राम जसारी, पो0 झनकट, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06V-9414 (LMV CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAKDD174DCN003920 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

16 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 513/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AS-5162/2019–वाहन संख्या UK06AS-5162 (M/CYCLE), मॉडल 2018, चेसिस संख्या MBLHAR084JHE123080 तथा इंजन नं0 HA10AGJHEB1871, कार्यालय में श्री आशीष विश्वास पुत्र श्री मुकुन्द विश्वास, निवासी 6 सी, दुर्गापुर बुकसौरा, दिनेशपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AS-5162 (M/CYCLE) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MBLHAR084JHE123080 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

24 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 542/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06X-6886/2019–वाहन संख्या UK06X-6886 (LMV), मॉडल 2012, चेसिस संख्या MA1XX2GPKC2G83044 तथा इंजन नं0 GPC4G23635, कार्यालय में श्री विजय किशोर पुत्र श्री बाबू रमा, निवासी रामपुरा, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06X-6886 (LMV) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1XX2GPKC2G83044 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

25 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 574/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AS-1010/2019–वाहन संख्या UK06AS-1010 (LMV), मॉडल 2018, चेसिस संख्या MBJGA3GS600379129~0418 तथा इंजन नं0 1GDA190208, कार्यालय में श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री दीन दयाल मिश्रा, निवासी 35, दानपुर कोलरा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AS-1010 (LMV) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MBJGA3GS600379129~0418 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

25 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 578/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AJ-2278/2019–वाहन संख्या UK06AJ-2278 (LMV), मॉडल 2016, चेसिस संख्या MA1VB2NACG6B91402 तथा इंजन नं0 NAGZB07067, कार्यालय में श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी म0नं0 27, दोहरिया हाल, निवासी श्री सिद्वार्थ ग्रोवर, सी–5 ईश्वर कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AJ-2278(LMV) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA1VB2NACG6B91402 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

25 अप्रैल, 2019 ई0

पत्रांक 579/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AR-3626/2019–वाहन संख्या UK06AR-3626 (LMV), मॉडल 2018, चेसिस संख्या MAJZXXMTKZJS52497 तथा इंजन नं0 JS52497, कार्यालय में श्री राजेश सिंह रावत पुत्र श्री श्याम सिंह, निवासी दलीप नगर, गुलरभोज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एकबारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AR-3626 (LMV) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAJZXXMTKZJS52497 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/255–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

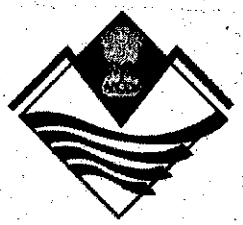

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जून, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 11, 1941 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला पंचायत, चम्पावत

उपविधियाँ, विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स आदि

02 मई, 2019 ई0

संख्या 50/933/जि0पं0अ0को0/2018–19–उत्तराखण्ड सरकारी गजट संख्या 128/XXXVI(3)/2016/20(1)/2016 देहरादून, दिनांक 07 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 106 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के क्रम में जिला पंचायत, चम्पावत की बैठक दिनाँक 02 अगस्त, 2017 के प्रस्ताव संख्या–04 द्वारा जिला पंचायत, चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स आदि को नियंत्रित किए जाने हेतु यह उपविधियाँ बनाई गई है। जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो प्रकाशन की तिथि के 30 दिन के भीतर लिखित आपत्ति/सुझाव, अध्यक्ष, जिला पंचायत चम्पावत को भेज सकते है, निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1. यह उपविधियाँ जिला पंचायत, चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार–प्रसार को निमित्त नियन्त्रित उपविधियाँ बनाई गई है।

2. (क) विज्ञापन बोर्ड का अर्थ उस बोर्ड से है, जो किसी भी व्यवसायिक/व्यापारिक दृष्टि के उद्देश्य से प्रचार एवं प्रसार हेतु किसी सार्वजनिक सड़क के किनारे जनसाधारण के पढ़ने के लिए किसी भी उद्यमी, फर्म, संस्था, कम्पनी, फैक्ट्री या व्यक्ति विशेष द्वारा व्यापारिक हित में लगाये गये है।

   (ख) नियन्त्रण का अर्थ विज्ञापन बोर्ड की सड़क के किनारे से एक निश्चित दूरी पर/मार्गों पर आवागमन नियमित संचालित कक्ष के हित में जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप लगाने से है।

3. कोई भी व्यक्ति/संस्था, जनपद चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक/व्यवसायिक दृष्टि से किसी कच्ची अथवा पक्की सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों विकसित कस्बों, बाजारों में जिला पंचायत चम्पावत की पूर्व अनुमति लिए बिना न तो बोर्ड लगायेगा तथा न ही बोर्ड लगाने के लिए सड़क के किनारे गड्ढा खोदेगा। बिना पूर्व अनुमति लिए लगाया गया बोर्ड जिला पंचायत द्वारा उखाड़ लिया जायेगा तथा अपने कब्जे में रख लिया जायेगा। ऐसा बोर्ड उखड़वाने अथवा लगवाने/रखवाने में जो भी खर्चा होगा, वह सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था से वसूल किया जायेगा।

4. जनसाधारण की सुविधा, सुरक्षा एवं यातायात को सुलभ बनाने की दृष्टि से सड़क के किनारे लगने वाले बोर्ड की दूरी सड़क से निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(क) कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, इकाई, फैक्ट्री आदि प्रचार–प्रसार का विज्ञापन/होर्डिंग्स प्रचार कम्पनी द्वारा राष्ट्रीय मार्ग एवं राजमार्ग के मध्य से 55 फुट छोड़कर निम्न धारा (ख) (ग) के अधीन रहते हुए इस प्रकार से लगायेगा, जिससे यातायात अथवा आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हों।

(ख) लिंक मार्ग या अन्य कोई पक्का मार्ग के बाहरी किनारे से 20 फुट जगह छोड़कर बोर्ड/होर्डिंग्स स्थापित किए जायेंगे।

(ग) किसी भी कच्चे मार्ग के किनारे से 5 फुट जगह छोड़कर बोर्ड स्थापित किए जायेंगे।

(घ) उक्त बिन्दओं में दी गई दूरी से कम चौड़ाई का मार्ग होने की स्थिति में बोर्ड मार्ग के अन्तिम किनारे पर ही स्थापित करना होगा।

5. बोर्ड की स्थापना लकड़ी की बल्ली या लोहे के गाडर द्वारा इस प्रकार की जायेगी कि तेज हवा या तूफान में उखड़ ना सके।

6. जनसाधारण की सुविधा एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड का साइज मार्ग की चौड़ाई को देखते हुए बनाया जायेगा ताकि यातायात में व्यवधान उत्पन्न न हो। इससे बड़ा बोर्ड स्थापित करने के लिए लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी की जाँच आख्या के उपरान्त ही अनुमति पत्र (लाइसेन्स) निर्गत किया जाना सम्भव हो सकेगा।

7. बोर्ड के ऊपर लिखाई ऐसी इंक/पेन्ट द्वारा लिखना अनिवार्य होगा, जिस पर रात में वाहनों की रोशनी पड़ने पर चमक उत्पन्न हो।

8. किसी भी बोर्ड अथवा होर्डिंग्स पर अश्लील भाषा का लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

9. विज्ञापन बोर्ड पर स्त्री अथवा पुरुष के नग्न अथवा अर्धनग्न फोटो, जिस पर आम जनता विरोध दर्शाये, लगाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

10. जिला पंचायत, चम्पावत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी सड़क के किनारे पर लगने वाले बोर्ड को इस उपविधि की किसी भी धारा उल्लंघन पाये जाने पर लगाने/लिखने के कार्य को बीच में ही रुकवाने के लिए अधिकृत होंगे।

11. जनसामान्य की सुविधा की दृष्टि से प्राप्त किसी भी शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को दिए गए निर्देशों का तत्काल पालन करना व्यक्ति/संस्था को अनिवार्य होगा।

12. विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को जिला पंचायत, चम्पावत से लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा। लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से आरम्भ होगी और 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

13. इन उपविधियों को लागू हो जाने के उपरान्त नये बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को पूर्व में लाइसेन्स अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र एवं वांछित कागजात उपलब्ध कराने होंगे तथा अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी होने के उपरान्त ही बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा लाइसेन्स प्राप्ति के बिना बोर्ड स्थापित नहीं किया जायेगा।

14. प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स का नवीनीकरण 31 जुलाई से पूर्व करा लेना अनिवार्य होगा। 31 जुलाई तक लाइसेन्स का नवीनीकरण न करने की स्थिति में 01 जुलाई से प्रतिमाह ₹ 25 विलम्ब शुल्क लगाया जायेगा। लाइसेन्स न होने की स्थिति में मा0 न्यायालय में वाद दायर कर दिया जायेगा तथा वाद कम्पाउन्ड कराने की स्थिति में लाइसेन्स शुल्क विलम्ब शुल्क व पोस्टेज व्यय के साथ–साथ 50 प्रतिशत वाद कम्पाउन्ड शुल्क भी देय होगा।

15. इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी होगे। अपर मुख्य अधिकारी चाहे तो कार्य अधिकारी/कर अधिकारी को कार्यभार हस्तान्तरण/अधिकृत कर सकते है।

16. इन उपविधियों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापन बोर्ड/होर्डिंग्स लिखाई सूचना पट पर लाइसेन्स शुल्क वसूली के कार्य को ठेका/नीलामी पद्धति से किया जा सकता है।

17. इन उपविधियों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे सार्वजनिक स्थान, विकसित कस्बों, बाजारों में विभिन्न प्रचार–प्रसार के विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स, सूचना पट पर लाइसेन्स शुल्क की दरें प्रति बार्ड अथवा होर्डिंग्स की दशा में निम्नवत् होंगीः–

(क) 15 वर्ग फिट साइज के होर्डिंग्स/विज्ञापन बोर्ड तक ₹ 500.00 प्रति बोर्ड।

(ख) 15 वर्ग फिट साइज की लम्बाई, चौड़ाई से अधिक के सूचना पट पर ₹ 25 अतिरिक्त प्रति वर्ग फिट की दर से वार्षिक शुल्क देय होगा।

18. (क) ग्रामीण मोटर मार्ग/सड़क के किनारे स्थित व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने पर भूमि एवं भवन स्वामी से अनापत्ति लेना आवश्यक होगा।

(ख) ग्रामीण मोटर मार्ग/सड़क के किनारे स्थित विभागीय/सरकारी भूमि पर विज्ञापन बोर्ड लगाये जाने पर सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति लेना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्त का पालन न किए जाने की दशा में विज्ञापन बोर्ड अवैध माना जायेगा।

19. पर्यावरण अनुकूलित सामग्री (Eco Friendly Mathiod) का प्रयोग किया जायेगा।

20. भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद में विज्ञापन प्रदाता व्यक्ति/संस्था स्वयं जिम्मेदार होंगे।

लाइसेन्स अधिकारी का अधिकार होगा कि उक्त प्रकार के प्रचार–प्रसार के विज्ञापन/होर्डिंग्स पर शुल्क वसूली के कार्य को ठेका पद्धति के द्वारा नीलामी यथास्थिति क्षेत्रवार, विकसित कस्बावार, बाजारवार, सड़कवार अलग–अलग भी कर सकते है।

दण्ड

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 106 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो अंकन ₹ 1,000/– तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो ₹ 50/– प्रतिदिन होगा, यदि अर्थदण्ड का भुगतान नहीं किया जाता है तो कारागार से दण्डित होगा। जो 03 माह तक का हो सकेगा।

राजेश कुमार,
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चम्पावत।

खुशाल सिंह अधिकारी,
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/255–भाग 3–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जून, 2019 ई0 (ज्येष्ठ 11, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा

माल ढोने वाले कुलियों, मजदूरों, राजमिस्त्री, कारपेन्टर, पेन्टर, लोहार उपनियमावली, 2019

08 मार्च, 2019 ई0

पत्रांक–2658/30–1/उपनियमावली/2018–2019–नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298ज(थ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा के मासिक अधिवेशन दिनांक 23.01.2019 के प्रस्ताव सं0 03 द्वारा प्रचलित माल ढोने वाले कुलियों, मजदूरों, राजमिस्त्री, कॉरपेन्टर, पेन्टर, लोहारों के लिए लाइसेन्स शुल्क की दर अधिरोपण करने हेतु उपविधि बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300(1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार–पत्र में प्रकाशित किया गया था। जिस पर समयान्तर्गत कोई आपत्ति व सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। उपरोक्त नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उप नियमावली

1. संक्षिप्त का नाम :–

   यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा माल ढोने वाले कुलियों, मजदूरों, राजमिस्त्री, कॉरपेन्टर, पेन्टर, लोहार उप नियमावली, 2019 कहलायेगी।

2. विस्तार/प्रसार :–

   इस नियमावली का विस्तार नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में होगा।

3. प्रभावी होना :–

   गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रभावी होगा।

परिभाषाएँ

1. नगरपालिका परिषद् का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा से है।
2. अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य, अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा से है।
3. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा से है।
4. उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 का तात्पर्य, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम संख्या 02, सन् 1916 से है।

उपविधि

1. नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा के सीमा के अन्तर्गत माल ढोने वाले कुलियों, मजदूरों, राजमिस्त्री, कॉरपेन्टर, पेन्टर, लोहार, जो मजदूरी में कार्य करते है या ठेकेदार के साथ कार्य करते है व सभी को अनुसूची में दिए गए लाइसेन्स शुल्क को जमा करना होगा। जो प्रत्येक वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। उक्त लाइसेन्सधारी को अपनी दो फोटो के साथ प्रार्थना–पत्र एवं अपना मूल स्थाई पता व पहचान–पत्र (भारतीय निर्वाचन आयोग का परिचय–पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति) उपलब्ध करानी होगी, साथ ही नगरपालिका परिषद् सीमा के अन्तर्गत या जहाँ कहीं भी निवास कह रहा है तो उक्त मकान मालिकों का लिखा हुआ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, साथ ही पुलिस का सत्यापन का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

अनुसूची

क्र0 सं0	मजदूरों का नाम	शुल्क
1.	माल ढोने वाले कुली, मजदूरों का लाइसेन्स शुल्क	500.00
2.	राजमिस्त्री/कॉरपेन्टर/पेन्टर/लोहार का लाइसेन्स शुल्क	1,000.00

3. अनुसूची में दर्ज लाइसेन्स शुल्क जमा कर नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा के कार्यालय से लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।

शास्ति

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह वैधानिक दण्ड का भागी होगा। जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपया मात्र) अर्थदण्ड तक होगा। यदि उल्लंघन जारी रहा तो अतिरिक्त दण्ड ₹ 100/– (एक सौ रुपया) प्रतिदिन होगा।

श्यामसुन्दर प्रसाद,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

प्रकाश चन्द्र जोशी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

कार्यालय–नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, पौड़ी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

23 मार्च, 2019 ई0

संख्या–751/उपविधि–प्रकाशन/2018–19–नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम, जौंक, पौड़ी गढ़वाल की सीमान्तर्गत उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–128 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर ईको शुल्क वसूली आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक द्वारा "ईको पर्यटक शुल्क उपविधि 2017" बनाई गई है, जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इन उपविधियों का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु समाचार–पत्र में प्रकाशित कराई जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक, पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

यह उपविधियाँ शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

ईको पर्यटक शुल्क उपविधियाँ, 2017

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस उपविधि का संक्षिप्त नाम "ईको पर्यटक शुल्क उपविधियाँ, 2017" होगा।

(2) इसका विस्तार नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, जनपद–पौड़ी गढ़वाल सीमान्तर्गत होगा।

(3) यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ

2. (1) इन उपविधियों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो:–

(क) "नगर पंचायत" से नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, जनपद–पौड़ी गढ़वाल अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, जनपद–पौड़ी गढ़वाल का निर्वाचित बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अध्यक्ष, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, जनपद–पौड़ी गढ़वाल अभिप्रेत है;

(घ) "प्रशासक" से प्रशासक नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, जनपद–पौड़ी गढ़वाल अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिनियम" से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 अभिप्रेत है;

(च) "अनुज्ञा–पत्र" इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा–पत्र अभिप्रेत है;

(छ) "ईको पर्यटक शुल्क" से नगर पंचायत स्वर्गाश्रम–जौंक क्षेत्र में प्रवेश करने वाली सड़क/सड़कों पर प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों से लिया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;

(ज) "नाके" से स्वर्गाश्रम–लक्ष्मणझूला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्गों पर स्थापित नाके/बुथ अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पदावली, जो इन उपविधियों में प्रयुक्त है, किन्तु वे परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में दिए गए हैं।

अध्याय–2

शुल्क विवरण अधिरोपण एवं संग्रह

3. ईको पर्यटक शुल्क ऐसे सभी वाहनों, जिन से पर्यटक बैराज मार्ग की ओर से स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला क्षेत्र में तथा नीलकण्ठ की ओर से गरुड़चट्टी होकर लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम क्षेत्र में प्रवेश करते हों, द्वारा देय होगा। इस हेतु प्रत्येक वाहन (स्वामी/चालक) द्वारा निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर अदा किया जायेगा, जिसके लिए नाके/बूथ पर तैनात नगर पंचायत कर्मी द्वारा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित तथा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रमाणित रसीद बुक से दो प्रतियों में रसीद दी जायेगी, जिसमें से परिचालक द्वारा एक रसीद नगर पंचायत द्वारा निर्धारित जाँच चौकी/नाके पर नगर पंचायत के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के मांगने पर उपलब्ध करानी होगी। जिसकी जाँच नगर पंचायत के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा नगर पंचायत सीमान्तर्गत कहीं भी की जा सकती है। नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक, जनपद–पौड़ी गढ़वाल सीमान्तर्गत प्रवेश करने पर निम्नानुसार ईको पर्यटक शुल्क देय होगा–

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	धनराशि
1.	बस	₹ 150.00 प्रति वाहन
2.	मैटाडोर/मिनी बस	₹ 100.00 प्रति वाहन
3.	कार/जीप/वैन	₹ 50.00 प्रति वाहन
4.	दो पहिया वाहन (स्कूटर/स्कूटी/मोटर साइकिल)	₹ 10.00 प्रति वाहन

शिथिलता

4. (1) भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के सभी वाहन, स्थानीय निकायों/जिला पंचायतों/भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभिनन निगमों, उपक्रमों के वाहन, शव वाहन, रोगी वाहन, निर्वाचन वाहन, एवं विवाह वाहन तथा शासकीय एवं धार्मिक प्रयोजन से प्रयोग किए जाने वाले अन्य निजी वाहन भी इस ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रहेंगे।

(2) नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक क्षेत्र के नागरिकों को उनके द्वारा नगर पंचायत से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माह अप्रैल में ₹ 100.00 जमा करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश–पत्र दिखाने पर वर्षभर ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

(3) नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक क्षेत्र के स्थानीय टैक्सी वाहनों को उनके द्वारा नगर पंचायत से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माह अप्रैल में ₹ 500.00 जमा करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रवेश–पत्र दिखाने पर वर्षभर ईको पर्यटक शुल्क से मुक्त रखा जायेगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299(1) के अन्तर्गत अर्थ दण्डनीय होगा, जो ₹ 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) से ₹ 1,000.00 (रुपये एक हजार तक मात्र) तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, स्वर्गाश्रम–जौंक, पौड़ी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

राधेश्याम छाछर,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक,
पौड़ी गढ़वाल।

शकुन्तला देवी राजपूत,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम–जौंक,
पौड़ी गढ़वाल।

सूचना

I HAVE changed my name from Sharad to Sharad Singh, In future I shall be known as Sharad Singh S/o Yeshvir Singh, R/o H.No. 359 (New 494), New Court Road, Ramnagar, Roorkee.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

Sharad Singh S/o Yeshvir Singh,
R/o H.No. 359 (New 494), New
Court Road, Ramnagar, Roorkee
Distt, Haridware (247667)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/255–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।